न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/98/2025	2025/287	02.06.2025	16.07.2025

1–नजीरा बेवा आमीन जाति मेव निवासी ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1–अयूब पुत्र हमीदा जाति मेव निवासी ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

2– शहनाज उर्फ अजमेरी पुत्री आमीन उर्फ पिल्ली जाति मेंव निवासी चामरोदा हाल सूरजमुखी रोड तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

असल अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री गिरधारी लाल शर्मा – वकील प्रार्थी
02. श्री लवकेश सिंह चौहान – वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 342/2022 नजीरा बनाम अयूब को किसी दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी वक्त बहस उपस्थित नही हुऐ। अप्रार्थी के वकील उपस्थित होकर बहस सुने जाने का अनुरोध किया गया। अप्रार्थी वकील के अनुरोध पर बहस सुनी गयी।

प्राथर्नी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है, कि तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के समक्ष बअनुवान मुकदमा नजीरा बनाम अयूब राजस्व वाद संख्या 342/2022 प्रार्थनी नजीरा (वादीया) द्वारा अप्रार्थीयान (प्रतिवादी) के विरूद्व विवादित आराजी खसरा न0 259, 554, 563, 567, 680, 722, 728, 773, 873, 587, 585 में से 2/5 भाग वाके ग्राम चामरोदा प्रार्थीया (वादीया) के पति मृतक आमीन पुत्र पटमल मेव निवासी चामरोदा की हिस्सेदारी कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थनी (वादीया) के पति का निधन हो चुका है। मृतक आमीन की विधिक वारिस प्रार्थीया (वादीया) तथा तरतीबी अप्रार्थीया (प्रतिवादी) शहनाज उर्फ अजमेंरी पुत्री है, मात्र दो ही वारिस है। दीगर कोई वारिस नही है। अप्रार्थी (प्रतिवादी) अयूब पुत्र अमीदा मेंव निवासी चामरोदा ने मिन प्रार्थीया (वादीया) के पति आमीन की भूमि को हडप करने की नियत से मृत्यु के पश्चात एक फर्जी तथाकथित वसीयत तैयार कराकर कानूनी वारिसान को बेदखल करने की धमकी दी तो प्रार्थीया (वादीया) ने मौजूदा वाद न्यायालय में दायर किया हुआ है। उक्त वाद से पूर्व मृतक आमीन पुत्र पटमल की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1835 दिनाक 14.07.2015 तत्कालीन हल्का पटवारी चामरोदा के द्वारा मिन वारिसान के नाम दर्ज कर दिया किन्तु नामान्तकरण की जानकारी होते ही अयूब अप्रार्थी (प्रतिवादी) ने फर्जी वसीयत के आधार पर अपने नाम कराने की नियत से प्रकरण संख्या 78/2015 बअनुवान अयूब बनाम नजीरा न्यायालय तहसीलदार किशनगढबास में पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार किशनगढबास ने दिनाक 20.05.2016 को बाद जॉच व गवाहान बयानात के आधार पर निर्णय दिनाक 20.05.2016 पारित किया गया, जिसके विरूद्व अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर में दायर की गयी। जो दिनाक 30.05.2018 को स्वीकार की जाकर तहसीलदार किशनगढबास को रिमाण्ड कर वापिस भिजवायी गयी। जिस पर दिनाक 27.12.2022 को निर्णय पारित करते हुऐ मृतक आमीन पुत्र पटमल की आराजी के 1/5 भाग का नामान्तकरण अप्रार्थी (प्रतिवादी) के

जिला कलक्टर
ला खैरथल-तिजारा (राज०)

नाम दर्ज करने हेतु पारित किया गया। जिसके विरूद्व अपील संख्या 2023/10 न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में शहनाज उर्फ अजमेंरी बनाम अयूब दायर की गयी। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनाक 23.01.2023 पारित करते हुऐ तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 27.12.2022 को निरस्त किया गया है। चूँकि उपरोक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थी फोटो कापी वसीयत को धारा 65 साक्ष्य अधिनियम के तहत असल वसीयत की जद में साक्ष्य में घोषित कराना चाहता है। जबकि असल वसीयत की वैधता की बाबत किसी भी सक्ष्म न्यायालय में कोई कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा नही की गयी है, और न ही असल वसीयत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास अथवा किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नही की गयी है, न ही असल वसीयत अप्रार्थी के कब्जे में है। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास अप्राथी (प्रतिवादी) से पूर्ण रूप से साज बाज है। तथा प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी देकर हकूक प्रार्थीया (वादीया) समाप्त करने पर उतारू है। प्रार्थीया अनपढ विधवा औरत है, प्रार्थीया ने अपने साक्ष्य न्यायालय में पेश की गयी है, तथा न्यायालय ने बमिल्लत अप्रार्थी अयूब पुत्र हमीदा के धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनाक 01.01.2025 को निर्णित करते हुऐ साक्ष्य अप्रार्थी करायी जा चूकि है। मिन प्रार्थनी को तहत अदालत के यहा से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है, चूँकि प्रकरण में 5–5, 10–10 राज की छोटी–छोटी पेशीया दी जा रही है। प्रार्थीया को अप्रार्थी ने धमकी दी है, कि मुकदमे का निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में होगा। तथा राजनैनिक दबाव डलवा रखा है। इस प्रकार मिन प्रार्थीया को तहत अदालत से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नही है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार फरमाया जाकर तहत अदालत में विचाराधीन राजस्व वाद को दीगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन बअनुवानी पत्रावली संख्या 342/2022 नजीरा बनाम अयूब प्रस्तुत वाद बाबत आराजी खसरा संख्या 259, 554, 563, 567, 680, 722, 728, 773, 873, 587, 585 वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा बाबत दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्इम्हनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश किया हुआ है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणो को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण दिनाक 24.07.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब दावा के साथ काउण्टर कलेम पेश किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब काउण्टर कलेम दिनाक 31.07.2023 नियत की गयी। पत्रावली में आगामी तारीख पेशीया नियत होती रही। दिनाक 04.03.2024 को वादी द्वारा काउण्टर कलेम का जवाब पेश करने हेतु समय चॉहा गया, दिनाक 01.04.2024 को काउण्टर कलेम का जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दिनाक 07.05.2024 तारीख पेशी नियत की गयी। दिनाक 20.05.2024 को वादीया द्वारा काउण्टर कलेम का जवाब पेश किया गयां। पत्रावली वास्ते तनकीयात हेतु दिनाक 27.05.2024 नियत की गयी, नियत तिथि पर तनकीयात पेश की गयी जो वास्ते गौर नियत की गयी। दिनाक 24.06.2024 को वादीया ने साक्ष्य पेश पेश किया गया जो वास्ते जिरह पत्रावली नियत की गयी। आदेशिका दिनाक 05.11.2024 के अनुसार पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गयी। वर्तमान में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत चली आ रही है, प्रार्थीया (वादीया) द्वारा तहत अदालत के समक्ष बहस नही की जाकर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने की नियत से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा तहत अदालत के समक्ष दिनाक 24.07.2023 को काउण्टर कलेम पेश किया गया जिसका जवाब प्रार्थीया (वादीया) द्वारा दिनाक 04.03.2024 को पेश किया गया अर्थात सात माह बाद इससे स्पष्ट है, कि प्रार्थीया (वादीया) प्रकरण को जानबुझ कर प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहती है, प्रार्थीया द्वारा जो तथ्य पेश किये गये है, सभी तथ्य गलत है, तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत प्रकरण की विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत से बिन्दूवार जवाब प्राप्त किया गया। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास ने जर्ये पत्राक 1077 दिनाक 09.06.2025 के द्वारा प्रार्थना में वर्णित बिन्दूओ को नकारते हुऐ बिन्दूवार जवाब तैयार कर पेश किया गया है, जिसके अनुसार उनवानी प्रकरण पत्रावली संख्या 342/2022 नजीरा बनाम अयूब विचाराधीन है, प्रकरण में वर्णित आराजी वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास में स्थित है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत कार्याही की जा रही है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी न तो किसी पक्षकार से सम्पर्क में है, और न ही कोई

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

नियम विरूद्व कार्यवाही की गयी है। यदि फिर भी वाद को सुनवाई के लिये अन्य सक्षम न्यायालय को मुन्तकिल किया जाता है, तो न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन बअनुवान मुकदमा पत्रावली संख्या 342/2022 नजीरा बनाम अयूब को दिगर राजस्व न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है, साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही विधिवत कार्यवाही पर भी आक्षेप किया गया है, प्रकरण में स्पष्ट है, कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद का शिध्र निस्तारण किये जाने हेतु ही छोटी–तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है इसमें पीठासीन की कोई दुरभावना नही है। विचाराधीन प्रकरण में तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा कोर्ट मैनवल के अनुसार ही विधिक प्रावधानुसार ही कार्यवाही की जा रही उसके बावजूद भी प्रार्थीया द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित बनाये रखने हेतु पेश किया गया है, प्रार्थी द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गये हैं, जिनके अभाव में प्रार्थना पत्र के संलग्न शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है, निर्णय की प्रति तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)